उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-123/2015/2112/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर 2015

शुद्धि-ज्ञाप

आगरा मे ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण एवं पुनरीक्षित परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 119/2015/1893/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 11.08.2015 निर्गत किया गया है।

2- शासनादेश सं0 119/2015/1893/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 11.08.2015 के प्रस्तर-8 के उप प्रस्तर-1 में व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित परियोजना में प्रयुक्त विभिन्न उच्च विशिष्ठियों/कार्यमदों के साथ ही सम्पूर्ण परियोजना की लागत रू0 19727.15 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 19727.15 अंकित हो गया है।

3- अतः शासनादेश सं0 119/2015/1893/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 11.08.2015 के प्रस्तर-8 के उप प्रस्तर-1 में व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित परियोजना में प्रयुक्त विभिन्न उच्च विशिष्ठियों/कार्यमदों के साथ ही सम्पूर्ण परियोजना की लागत रू0 19727.15 के स्थान पर रू0 19727.15 लाख पढा जाय।

सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव।

संख्या-123/2015/2112/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा।
7- श्री राजाराम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को वेबसाइट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव

यू0ओ0

http://shasanadesh.up.nic.in